# केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

## 1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता है। शब्द केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक **सरकारी कम्पनी**[1] की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

**सरकारी कम्पनियां**

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केंद्रीय सरकार द्वारा आशिंक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आशिंक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी[2] को इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में दर्शाया गया है।

---

[1] लोक उद्यम विभाग (डीपीई) उन सीपीएसईज को कम्पनी के रूप में मानता है जिसमें केन्द्र सरकार के पास 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी या उसकी धारण कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी 50 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व रखती है। सीएजी और डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अन्तर के दृष्टिगत, सीएजी और डीपीई द्वारा सीपीएसईज के रूप में मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

[2] कार्पोरेट अफेयर मंत्रालय -(कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014, दिनांक 4 सितम्बर 2014

### 1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सीएजी कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक) की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिनके अनुसार लेखों की लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की मात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अधिशासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2014-15 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

### 1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2014-15 (अथवा पिछले वर्षों जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया हो) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं।

प्रतिवेदन में कॉरपोरेट अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और कोरपोरेट गर्वनेस पर सिक्युरिटिज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसईज़ द्वारा पालन की समग्र स्थिति का भी वर्णन किया गया है।

### 1.1.3 सीपीएसईज़ और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2015 को, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 570 सीपीएसईज थी। इनमें 390 सरकारी कम्पनियां, छह सांविधिक निगम और 174 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां शामिल थी। इस प्रतिवेदन में समग्र कवरेज तथा इन सीपीएसईज़ का स्वरूप निम्निलिखित तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

- **सरकारी कम्पनियां** **390**
- **सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां** **174**
- **सांविधिक निगम** **6**
- **कुल सीपीएसईज** **570**

**तालिका 1.1: प्रतिवेदन के अंतर्गत कवरेज तथा सीपीएसईज का स्वरूप**

| सीपीएसई का स्परूप | सीपीएसईज की कुल संख्या | प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या | | | | प्रतिवेदन में शामिल न की गई सीपीएसईज़ की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014-15 तक लेखें | निम्न तक लेखें | | जोड़ | |
| | | | 2013-14 | 2012-13 | | |
| सरकारी कम्पनियां | 390 | 335 | 22 | 2 | 359 | 31 |
| सांविधिक निगम | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| कुल कम्पनियां/निगम | 396 | 340 | 23 | 2 | 365 | 31 |
| सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां | 174 | 150 | 4 | 2 | 156 | 18 |
| **जोड़** | **570** | **490** | **27** | **4** | **521** | **49** |

नई/बन्द सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के ब्यौरे ***परिशिष्ट -I*** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 49 सीपीएसईज़ (18 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक के लिए बकाया में थे अथवा समाप्त/परिसमापन के अन्तर्गत थे अथवा पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे अथवा पहले लेखे देय नहीं थे, को शामिल नहीं किया गया है। इन सीपीएसईज को दो सितारों (**) के द्वारा ***परिशिष्ट -II*** में दर्शाया गया है।

**सीपीएसईज़ का आशुचित्र**

**(सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)**

| | |
|---|---|
| **सीपीएसईज़ की संख्या** | **396** |
| **इस अध्याय में शामिल सीपीएसईज़** | **365** |
| **प्रदत पूंजी (365 सीपीएसईज़)** | **₹ 3,51,961 करोड़** |
| **दीर्घकालीन कर्जे (365 सीपीएसईज़)** | **₹ 9,81,300 करोड़** |
| **बाजार पूंजीकरण (46 सूचीबद्ध कम्पनियां)** | **₹ 13,27,781 करोड़** |
| **निवल लाभ (205 सीपीएसईज़)** | **₹ 1,37,338 करोड़** |
| **निवल हानि (135 सीपीएसईज़)** | **₹ 30,341 करोड़** |
| **घोषित लाभांश (112 सीपीएसईज़)** | **₹ 57,749 करोड़** |
| **कुल परिसम्पतियां (365 सीपीएसईज़)** | **₹ 34,73,744 करोड़** |
| **उत्पादन का मूल्य (365 सीपीएसईज़)** | **₹ 15,01,603 करोड़** |
| **कुल मूल्य (365 सीपीएसईज़)** | **₹ 12,54,040 करोड़** |

## 1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2015 के अंत में 365[3] सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश और कर्ज़ की सीमा निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं। कुछ सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने भी इन सीपीएसईज में निवेश में योगदान किया था। ब्यौरें निम्नलिखित तालिका 1.2 में दिए गए है:

**तालिका 1.2 : सरकारी कंपनियां एवं निगमों में इक्विटी निवेश तथा कर्जे**

**(₹ करोड़ में)**

| स्रोत | 31 मार्च 2015 को | | | 31 मार्च 2014 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | इक्विटी | दीर्घ कालीन कर्ज़ें | जोड़ | इक्विटी | दीर्घ कालीन कर्ज़ें | जोड़ |
| 1.केन्द्रीय सरकार | 2,65,499 | 51,642 | **3,17,141** | 2,49,987 | 54,752 | **3,04,739** |
| 2.केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां/निगम | 40,593 | 15,220 | **55,813** | 35,198 | 17,353 | **52,551** |

[3] 396 सीपीएसईज - 31 सीपीएसईज जिनके लेखे बकाया में थे

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.राज्य सरकारें/राज्य सरकार की कम्पनियां/निगम | 21,426 | 22,114 | **43,540** | 19,897 | 7,763 | **27,660** |
| 4.वित्तीय संस्थाएं/अन्य | 24,443 | 8,92,324 | **9,16,767** | 21,263 | 7,99,734 | **8,20,997** |
| **जोड़** | **3,51,961** | **9,81,300** | **13,33,261** | **3,26,345** | **8,79,602** | **12,05,947** |
| **कुल के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिशतता** | 75.43 | 5.26 | 23.79 | 76.60 | 6.22 | 25.27 |

मंत्रालय/विभाग द्वारा इक्विटी तथा दिए गए कर्ज़ों के वार विवरण सीएजी वेबसाइट <www.saiindia.gov.in पर उपलब्ध है।

### 1.2.1 इक्विटी निवेश

#### 1.2.1.1 इक्विटी सूचना

2014-15 के दौरान, इन 365 सीपीएसईज़ के इक्विटी में निवेश में ₹ 25,616 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज हुई। भारत सरकार का निवेश इन 365 सीपीएसईज़ की इक्विटी में 2014-15 में ₹ 15,512 करोड़ तक बढ़ गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार और अन्यों द्वारा सरकारी कम्पनियों और निगमों में इक्विटी निवेश चार्ट-1 में दर्शाया गया है।

**चार्ट I: सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश**

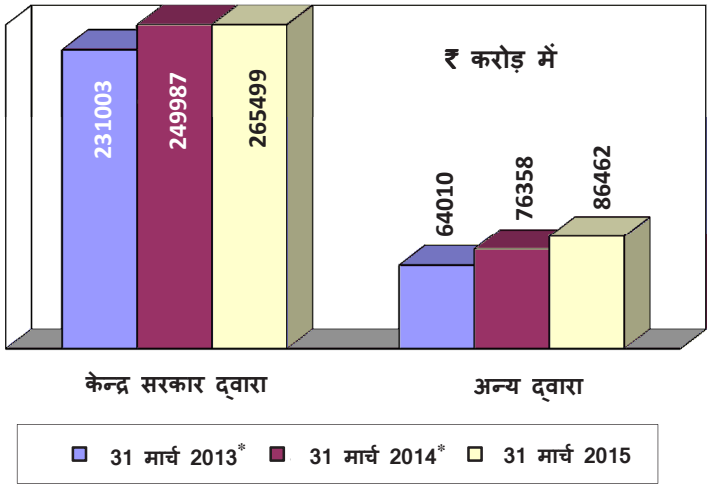


*(* पिछले वर्षों के आँकड़े 2014-15 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उस वर्ष के लिए लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसईज़ की प्रदत्त पूंजी में 2014-15 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश के ब्यौरे तालिका 1.3 में दिए गए हैं:

**तालिका 1.3: केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश**

**(₹ करोड़ में)**

| सीपीएसईज का नाम | मंत्रालय का नाम | राशि |
|---|---|---|
| **सांविधिक निगम** | | |
| नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी आफ इण्डिया | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग | 11817 |
| **सरकारी कम्पनियां** | | |
| दिल्ली मेट्रो रेल कापोरेशन लिमिटेड | शहरी विकास | 1053 |
| डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कार्पोरेशन लिमिटेड | रेलवे | 1008 |
| अन्य | | 1634 |
| **जोड़** | | **15512** |

### 1.2.1.2 विनिवेश

वर्षवार विनिवेश लक्ष्य और 31 मार्च 2015 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान सीपीएसईज के संबंध में भारत सरकार द्वारा उनके प्रति उदग्रहीत की गई राशि को चार्ट-II में दर्शाया गया है:

**चार्ट II: विनिवेश लक्ष्य तथा वास्तविक उदग्रहण**

**(₹ करोड़ में)**

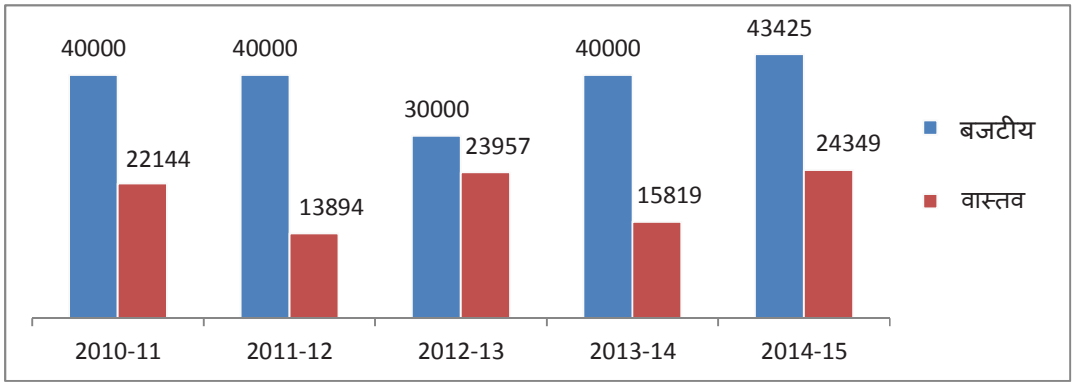


❖ वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 43,425 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 24,349[4] करोड़ की उगाही की। सीपीएसई की विनिवेश लाभ की प्राप्ति को तालिका 1.4 में दिया गया है।

[4] स्रोत: http//www.nic.in/Summary Sale.asp and www .indiabudget.nic.in

**तालिका 1.4: विनिवेश लाभ की प्राप्ति**

**(₹ करोड़ में )**

| क्रम सं. | सीपीएसईज का नाम | विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता | शेयरों का अंकित मूल्य | सरकार द्वारा उगाही की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोल इंडिया लिमिटेड | 11.15 | 631.64 | 22558 |
| 2 | स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 6.25 | 206.53 | 1720 |
| 3 | एनटीपीसी लिमिटेड | 0.06 | 3.48 | 48 |
| 4 | नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड | 0.16 | 1.63 | 13 |
| 5 | एमएमटीसी | 0.08 | 0.37 | 4 |
| 6 | हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड | 0.06 | 0.24 | 3 |
| 7 | नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 0.32 | 1.40 | 3 |
| **जोड** | | | | **24349** |

इसके अतिरिक्त ₹ 563 करोड़ सीपीएसईज द्वारा अधिमान शेयरों के विमोचन के कारण प्राप्त हुए थे जैसाकि तालिका 1.5 दिया गया है।

**तालिका: 1.5: अधिमान शेयरों के विमोचन का विवरण**

| क्रम सं. | सीपीएसई का नाम | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड | 550 |
| 2 | मेकोन लिमिटेड | 13 |
| | **जोड़** | **563** |

### 1.2.2 सरकारी कंपनियों और निगमों को दिए गए ऋण

2014-15 के दौरान सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालीन ऋणों ने ₹ 1,01,698 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की। सरकारी कंपनियों और निगमों में बकाया दीर्घावधि ऋणों के वर्षवार ब्यौरों को चार्ट III में दर्शाया गया है।

**चार्ट III : सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए बकाया दीर्घकालीन कर्ज**

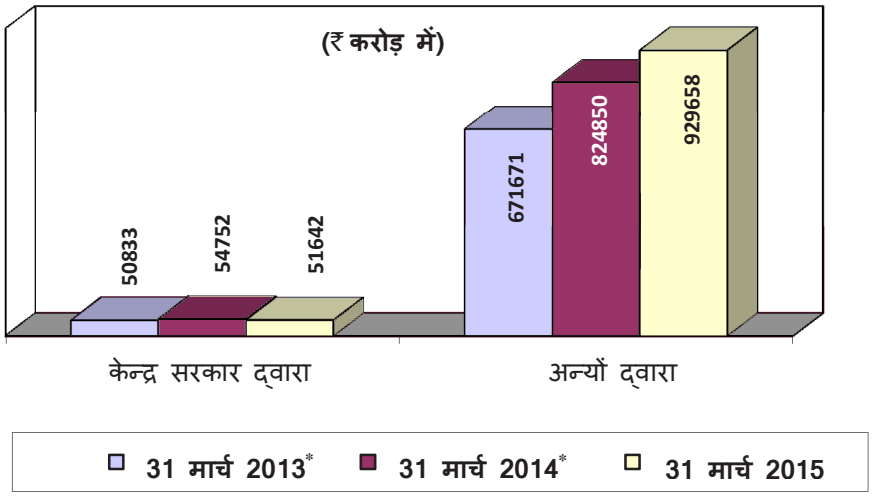


*(*पिछले वर्षों के आँकड़े 2014-15 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उन वर्षों के लेखे प्राप्त हुए थे)*

31 मार्च 2015 को सभी स्त्रोतों से 365 सीपीएसईज़ में बकाया कुल दीर्घकालीन कर्जे ₹ 9,81,300 करोड़ के थे। 2014-15 के दौरान उनके दीर्घकालीन कर्जों के प्रति कुल परिसम्पत्तियों की धनात्मक तथा ऋणात्मक कवरेज की तुलना तालिका 1.6 में दी गई है:

**तालिका 1.6: दीर्घावधि ऋणों के साथ कुल परिसम्पत्तियों का कवरेज**

| | धनात्मक कवरेज़ | | | | ऋणात्मक कवरेज़ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सीपीएएसई की संख्या | दीर्घावधि कर्ज़ | परिसम्प-त्तियां | कर्जों के प्रति परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता | सीपीएसई की संख्या | दीर्घावधि कर्ज़ | परिसम्प-त्तियां | कर्जों के प्रति परिसम्प-त्तियों की प्रतिशतता |
| | | (₹ करोड़ में) | | | | (₹ करोड़ में) | | |
| सांविधिक निगम | 3 | 46675 | 232462 | 498.04 | | | | |
| सूचीबद्ध कम्पनियां | 32 | 612423 | 1596598 | 260.70 | 2 | 3765 | 347 | 9.22 |
| असूचीबद्ध कम्पनियां | 105 | 305004 | 842787 | 276.32 | 19 | 13433 | 1648 | 12.27 |
| **कुल** | **140** | **964102** | **2671847** | | **21** | **17198** | **1995** | |

दो सूचीबद्ध कम्पनियों सहित इक्कीस सीपीएईज़ की उनकी कुल परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक कर्ज थे। वही 204 सीपीएसईज़ (तीन सांविधिक निगम सहित) थीं जिनके ऊपर कोई दीर्घावधि कर्ज नहीं था।

❖ ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज एवं कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतना ही अधिक कम्पनी पर ऋण खर्च का भार होता है। एक से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि ब्याज खर्च को पूरा करने के लिए कम्पनी पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण का ब्यौरा तालिका 1.7 में दिया गया हैः

**तालिका 1.7: ब्याज कवरेज़ अनुपात**

| वर्ष | ब्याज | ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) | सीपीएसई[5] की संख्या | 1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या | 1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाली सीपीएसइज़ की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | (₹ करोड़ में) | | | | |
| **सांवधिक निगम** | | | | | |
| 2012-13 | 1548 | 3361 | 3 | 2 | 1 |
| 2013-14 | 2312 | 3836 | 3 | 2 | 1 |
| 2014-15 | 2727 | 3979 | 3 | 2 | 1 |
| **सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां** | | | | | |
| 2012-13 | 39986 | 110679 | 32 | 20 | 12 |
| 2013-14 | 43904 | 127865 | 32 | 22 | 10 |
| 2014-15 | 47410 | 111664 | 34 | 23 | 11 |
| **असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां** | | | | | |
| 2012-13 | 16452 | 48135 | 119 | 51 | 68 |
| 2013-14 | 17754 | 30908 | 118 | 56 | 62 |
| 2014-15 | 18779 | 33995 | 124 | 57 | 67 |

यह देखा गया था कि सूचीबद्ध के साथ-साथ असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान बढ़ गई थी।

[5] उन सीपीएसईज़ को छोडकर जिनकी ब्याज पर कोई देयता नहीं है

### 1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा निवेशित पूंजी 156 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों[6] में चार्ट IV में वर्णित की गई है:

**चार्ट IV: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में शेयर पूंजी की संरचना**

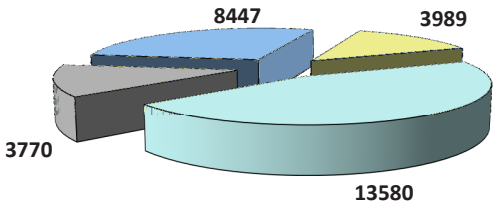


**(₹ करोड़ में)**

| |
|---|
| वित्तीय संस्थाएं एवं बैंक – ₹ 8,447 करोड़ |
| केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां एवं निगम– ₹ 13,580 करोड़ |
| राज्य सरकार, राज्य सरकारी कम्पनियां एवं निगम– ₹ 3,989 करोड़ |
| अन्य– ₹ 3,770 करोड़ |

31 मार्च 2015 को इन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में इक्विटी ₹ 29,786 करोड़ थी। इन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में इक्विटी ₹ 2,785 करोड़ तक बढ़ गई अर्थात 2013-14 में ₹ 27,001 करोड़ से बढ़ कर 2014-15 में ₹ 29,786 करोड़ हो गई।

### 1.2.4 सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश पर बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी के बकाया शेयरों के बाजार मूल्य के आधार का माप है। 59 सरकारी कम्पनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए थे जिनमें 46 सरकारी कम्पनियां, सरकारी कम्पनियों की पाँच सहायक कम्पनियां और आठ[7] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां शामिल हैं।

- 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2014-15 के दौरान 42 कम्पनियों के शेयरों में ट्रेडिंग[8] हुई थी। सरकारी कम्पनियों की पाँच सहायक कम्पनियों के संबंध में वर्ष के दौरान चार में ट्रेडिंग हुई थी और ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयर की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

---

[6] कम्पनी वार ब्यौरा सीएजी वेबसाईट <www.saiindia.gov.in> पर उपलब्ध हैं

[7] (1) इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड, (2) इन्डबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड, (3) पीएनबी गिल्टस लिमिटेड, (4) दी बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, (5) उडीसा मिनरल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, (6) तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, (7) टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और (8) आईएफसीआई लिमिटेड

[8] 2014-15 के दौरान (1) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस एमएफजी. कम्पनी लिमिटेड, (3) इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड (4) केआईओसीएल लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई थी।

- 31 मार्च 2014 तक ₹ 11,06,657 करोड़ की तुलना में 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (चार सहायक कम्पनियों सहित) में शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2015 तक ₹ 13,27,781 करोड़ था। 31 मार्च 2014 की तुलना में, 31 मार्च 2015 तक शेयरों का कुल बाजारी मूल्य ₹ 2,21,124 करोड़ (19.98 प्रतिशत) तक बढ़ गया था। 31 मार्च 2015 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 13,13,368 करोड़ था जिनमें से भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 9,27,531 करोड़ तक था। इस अवधि के दौरान, बीएसई सेंसेक्स 22,386.27 (31 मार्च 2014 को) से बढ़कर 27,957.49 (31 मार्च 2015 को) हो गया, जो 24.90 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, तथापि बीएसई-पीएसयू इन्डैक्स 19.70 प्रतिशत तक बढ़ गया (31 मार्च 2014 को 6354.61 से 31 मार्च 2015 तक 7607.95)।

- 31 मार्च 2015 तक 4 सहायक सरकारी कम्पनियों के शेयरों का बाज़ार मूल्य जिन, शेयरों की ट्रेडिंग 2014-15 के दौरान हुई थी, ₹14,413 करोड़ रहा था। 31 मार्च 2014 की तुलना में 31 मार्च 2015 तक चार सरकारी सहायक कम्पनियों में सरकारी कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य बढ़ कर ₹ 3,505 करोड़ तक हो गया था।

- 31 मार्च 2015 को अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाली टॉप 10 सीपीएसईज़ तालिका 1.8 में दी गई हैं।

**तालिका 1.8: उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसईज़**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम सं. | सीपीएसई का नाम | बाजार पूंजीकरण |
|---|---|---|
| 1 | ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 262482 |
| 2 | कोल इण्डिया लिमिटेड | 228905 |
| 3 | एनटीपीसी लिमिटेड | 121497 |
| 4 | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 89421 |
| 5 | पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 75962 |
| 6 | भारत पैट्रालियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 58566 |
| 7 | भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 57506 |
| 8 | एनएमडीसी लिमिटेड | 51561 |
| 9 | गेल (इण्डिया) लिमिटेड | 49325 |
| 10 | पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 36004 |

34 सीपीएसईज़ में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई और अन्य आठ सीपीएसईज़ में कमी हुई। बाजार पूंजीकरण में ₹ 10,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि वाले सीपीएसईज़ तालिका 1.9 में दिए गए हैः

**तालिका 1.9: ₹ 10,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि वाले सीपीएसईज़**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम. सं. | सीपीएसई का नाम | 31 मार्च 2015 को बाजार पूंजीकरण | 31 मार्च 2014 को बाजार पूंजीकरण | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोल इंडिया लिमिटेड | 228905 | 181848 | 47057 |
| 2 | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 58566 | 33284 | 25282 |
| 3 | एनटीपीसी लिमिटेड | 121497 | 98904 | 22593 |
| 4 | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 89421 | 67740 | 21681 |
| 5 | पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 75963 | 54958 | 21005 |
| 6 | भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 26778 | 9157 | 17621 |
| 7 | कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 30830 | 18990 | 11840 |
| 8 | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 22014 | 10489 | 11525 |
| 9 | पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 36004 | 25530 | 10474 |
| 10 | रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 32848 | 22593 | 10255 |

## 1.3. सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

### 1.3.1 सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित लाभ

लाभ[9] कमाने वाली सीपीएसईज़ की संख्या 2014-15 के दौरान 205 थी, तथापि अर्जित लाभ 2013-14 में ₹ 1,54,484 करोड़ से 2014-15 में ₹ 1,37,338 करोड़ तक घट गया था। 2012-15 के दौरान लाभ कमाने वाली सीपीएसईज की संख्या चार्ट-V में दर्शाई गई हैं।

[9] ब्याज और कर से पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी, कर पश्चात लाभ, लाभांश, निवल सम्पत्ति, निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात लाभ का अनुपात, लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात तथा इक्विटी के प्रति लाभांश को दर्शाने वाली 365 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विश्लेषण सीएजी वेबसाईट <www.saiindia.gov.in> पर उपलब्ध है।

**चार्ट V: लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसईज़ की संख्या**

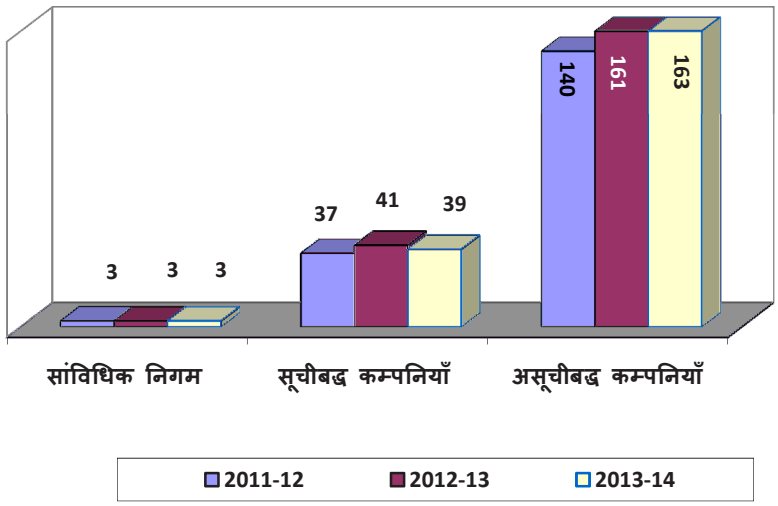


वर्ष 2014-15 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.10 में सारांशीकृत किया गया है:

**तालिका 1.10: वर्ष 2014-15 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले क्षेत्र**

| क्षेत्र | लाभ कमाने वाले सीपीएसईज़ की संख्या | अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में) | कुल सीपीएसई लाभ के प्रति की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| **1. पेट्रोलियम** | | | |
| सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां | 6 | 36373 | 26.48 |
| असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां | 5 | 2887 | 2.10 |
| **जोड़** | 11 | 39260 | 28.58 |
| **2. कोयला एवं लिग्नाईट** | | | |
| सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां | 2 | 14963 | 10.90 |
| असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां | 7 | 13334 | 9.71 |
| **जोड़** | 9 | 28297 | 20.61 |
| **3. विद्युत** | | | |
| सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां | 4 | 19071 | 13.89 |
| असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां | 24 | 4273 | 3.11 |
| **जोड़** | 28 | 23344 | 17.00 |
| **जोड़ (1) से (3)** | **48** | **90901** | **66.19** |

2013-14 के दौरान 41 सीपीएसईज़ द्वारा 65 प्रतिशत योगदान की तुलना में इन तीन क्षेत्रों में 48 सीपीएसईज़ द्वारा योगदान 2014-15 के दौरान अधिक से अधिक 66 प्रतिशत (₹ 90,901 करोड़) किया गया था।

निम्नलिखित सीपीएसईज़ की सूची है जिन्होंने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया था जिसे तालिका 1.11 में दिया गया है:

**तालिका 1.11: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक लाभ वाले सीपीएसईज़ की सूची**

| क्रम. सं. | सीपीएसई का नाम | निवल लाभ (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 17733 |
| 2 | कोल इंडिया लिमिटेड | 13383 |
| 3 | एनटीपीसी लिमिटेड | 10291 |
| 4 | एनएमडीसी लिमिटेड | 6422 |
| 5 | पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 5959 |
| 6 | इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड | 5273 |
| 7 | रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 5260 |
| 8 | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 5085 |
| **कुल** | | **69406** |

यह देखा जा सकता है कि इन आठ सीपीएसईज़ ने 2014-15 के दौरान 205 सीपीएसईज़ द्वारा कुल अर्जित लाभ का 51 प्रतिशत का योगदान किया।

### 1.3.2 सीपीएसईज़ द्वारा लाभांश भुगतान

2014-15 में अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

**तालिका 1.12: अर्जित लाभ और लाभांश भुगतान**

**(₹ करोड़ में)**

| श्रेणी | सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सीपीएसईज़ की संख्या | प्रदत्त पूंजी | निवल लाभ | घोषित लाभांश |
| सांविधिक निगम | 2 | 725 | 2141 | 429 |
| सूचीबद्ध कंपनियां | 34 | 58125 | 97471 | 40424 |
| असूचीबद्ध कंपनियां | 76 | 47762 | 30826 | 16896 |
| **कुल** | **112** | **106612** | **130438** | **57749** |

2014-15 में लाभांश की घोषणा करने वाले 112 सीपीएसईज़ थे। इन सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2013-14 में 48.56 प्रतिशत से घट कर 2014-15 में 44.27 प्रतिशत हो गया, जिसे चार्ट VI में दर्शाया गया है। कुल मिलाकर, सीपीएसईज़ द्वारा 2014-15 में घोषित लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8,446 करोड़ तक घट गया।

**चार्ट VI: निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश**

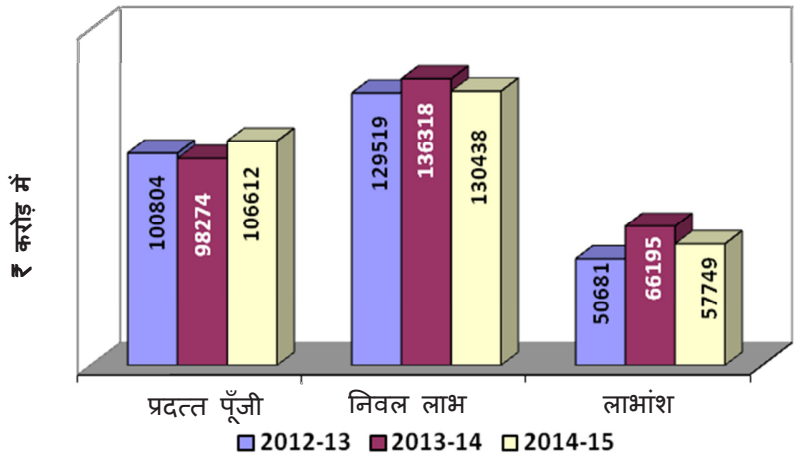


चालू वर्ष में 112 सीपीएसईज़ द्वारा घोषित ₹ 57,749 करोड़ के कुल लाभांश में से, भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 33,771 करोड़ था। सम्पूर्ण बोर्ड की सभी सरकारी कम्पनियों और कॉर्पोरेशनों में समग्र निवेश पर पाँच प्रतिशत की न्यूनतम रिटर्न के प्रति 2013-14 के दौरान 17.06 प्रतिशत की तुलना में 365 सीपीएसईज़ की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,65,499 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 12.72 प्रतिशत था। इसी प्रकार 29 सीपीएसईज़ ने अन्य सीपीएसईज़ की इक्विटी धारण में ₹4,883 करोड़ की दी गई पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 14,117 करोड़ प्राप्त किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 10 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 14,667 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2014-15 में विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 57,749 करोड़ के कुल लाभांश का 25.40 प्रतिशत था।

सितम्बर 2004 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि लाभ कमाने वाली सभी सीपीएसईज़, या तो इक्विटी पर या कर-पश्चात लाभ पर, जो भी अधिक हो, न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करेंगी। तेल, पेट्रोलियम, रसायन तथा अन्य आधारभूत क्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम लाभांश कर-

पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत था। तथापि, 17 कम्पनियाँ जिन्होंनें लाभांश घोषित किया था (तीन सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) ने लाभांश की घोषणा करते समय संबंधित सरकारी निर्देश का पालन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट - III*** में दिया गया है। इसके कारण 2014-15 में कुल कमी ₹ 2,521 करोड़ थी।

### 1.3.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल

156[10] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से, 109 कम्पनियों ने ₹ 5,179 करोड़ का लाभ कमाया। इन 109 कम्पनियों में से, 46 ने ₹ 1,166 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो उनकी ₹ 7,922 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी का 14.72 प्रतिशत का द्योतक था। 2014-15 के दौरान अड़तीस कम्पनियों को ₹ 2,247 करोड़ की हानि हुई। शेष नौ कम्पनियों ने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ नहीं किए थे।

2014-15 के दौरान 46 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा ₹ 1,166 करोड़ का घोषित लाभांश विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत कम्पनियों से आया जैसा कि तालिका 1.13 में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.13: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश**

**(₹ करोड़ में)**

| क्षेत्र | कम्पनियों की सं. | प्रदत्त पूंजी | निवल लाभ | लाभांश |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय सेवाएँ | 24 | 4070 | 1996 | 771 |
| विद्युत | 4 | 1730 | 396 | 155 |
| बीमा | 2 | 1200 | 988 | 140 |
| ठेका एवं निर्माण सेवाएं | 2 | 446 | 395 | 44 |
| पेट्रोलियम | 3 | 255 | 121 | 23 |
| परिवहन सेवाएं | 1 | 164 | 27 | 20 |
| व्यापार एवं विपणन | 1 | 41 | 14 | 6 |
| औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श | 8 | 16 | 19 | 4 |
| खनिज एवं धातु | 1 | 1 | 18 | 3 |
| | **46** | **7923** | **3974** | **1166** |

[10] 174-18 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां जिनकें खाते बकाया में थे।

## 1.4 घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़

एक सौ पैंत्तीस सीपीएसईज़ को वर्ष 2014-15 के दौरान घाटा हुआ था। इन सीपीएसईज़ द्वारा उठाये गये घाटे में 2013-14 के दौरान ₹ 22,783 करोड़ से 2014-15 में ₹ 30,341 करोड़ तक की काफी वृद्धि हुई जिसका तालिका 1.14 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 1.14: वर्ष के दौरान हानियां उठाने वाली सीपीएसईज की संख्या**

| सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष | हानि उठाने वाली सीपीएसईज[11] की संख्या | वर्ष के लिए निवल हानि | संचित हानि | निवल सम्पत्ति[12] |
|---|---|---|---|---|
| | | (₹ करोड़ में) | | |
| **सांविधिक निगम** | | | | |
| 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 1 | -995 | 0 | 14863 |
| 2014-15 | 1 | -1334 | 0 | 13944 |
| **सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां** | | | | |
| 2012-13 | 14 | -11652 | 22375 | 4855 |
| 2013-14 | 10 | -4574 | 21245 | -5606 |
| 2014-15 | 12 | -8750 | 25433 | -11701 |
| **असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां/ निगम** | | | | |
| 2012-13 | 105 | -17435 | 65250 | 53328 |
| 2013-14 | 105 | -17214 | 71687 | 47185 |
| 2014-15 | 122 | -20257 | 73994 | 47570 |
| **जोड़** | | | | |
| **2012-13** | **119** | **-29087** | **87625** | **58183** |
| **2013-14** | **116** | **-22783** | **92932** | **56442** |
| **2014-15** | **135** | **-30341** | **99427** | **49813** |

वर्ष 2014-15[13] के दौरान सीपीएसईज जिन्होंने ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि वहन की तालिका 1.15 में दी गई है।

---

[11] फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा नेशनल हाइवेज आथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनके घाटे की भारत सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है को इस तालिका में शामिल नहीं किया गया है।

[12] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा नि:शुल्क आरक्षित निधि तथा बेशी रहित संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय का कुल जोड। नि:शुल्क आरक्षित निधि का अर्थ है लाभों तथा शेयर प्रीमियम लेखा में से सृजित सभी राजस्व परन्तु परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा मूल्यह्रास प्रावधान के प्रतिवेदन में से सृजित राजस्व को शामिल नहीं किया गया है।

[13] एयर इंडिया का खाता बकाया में है वर्ष 2014-15 के लिए अनंतिम हानि, 2013-14 के दौरान ₹ 6280 करोड़ की हानि के प्रति ₹ 5860 करोड थी।

**तालिका 1.15: ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि उठाने वाली सीपीएसईज**

| क्रम सं. | कम्पनी का नाम | 2014-15 में निवल हानि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | भारत संचार निगम लिमिटेड | 8,234 |
| 2 | महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड | 2,833 |
| 3 | हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्यूफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड | 2,163 |
| 4 | मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड | 1,712 |
| 5 | दामोदर वैली कोर्पोरेशन | 1,334 |

### 1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2015 तक 157 सीपीएसईज थे, जिनकी संचित हानि ₹ 1,10,285 करोड़ थी। वर्ष 2014-15 के दौरान 157 सीपीएसईज में से 113 सीपीएसईज ने ₹ 15,397 करोड़ की राशि की हानि वहन की तथा वतर्मान वर्ष 2014-15 में 44 सीपीएसईज ने हानि नहीं उठाई थी यद्यपि उन्हें ₹ 10,837 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

64 सरकारी कम्पनियों (157 में से) की निवल सम्पत्ति संचित हानि द्वारा पूरी तरह क्षरित की गई थी और उनकी निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 64 कम्पनियों की निवल संपत्ति 31 मार्च 2015 को ₹ 21,847 करोड़ इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 74,100 करोड़ थी। इसमें छः सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति ₹ 1,792 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 22,749 करोड़ थी। 64 सीपीएसईज जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, में से केवल सात सीपीएसईज ने 2014-15 के दौरान ₹ 303.58 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था।

64 सीपीएसईज में से 28, जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2015 को ₹ 16,221 करोड़ थी। इसमें ₹ 2,769 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली पाँच सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल है। संभावित रूग्णता दर्शाते हुए 301 सीपीएसईज, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 24 सीपीएसईज की निवल संपत्ति 31 मार्च 2015 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 14,815 करोड़ के आधे से कम थी।

## 1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

### 1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन का मूल्य, कुल परिसम्पत्तियों तथा लगाई गई पूंजी को दर्शाने वाला सार चार्ट VII में दिया गया है:

**चार्ट : VII**

**उत्पादन का मूल्य , परिसंपत्तियां तथा नियोजित पूंजी**

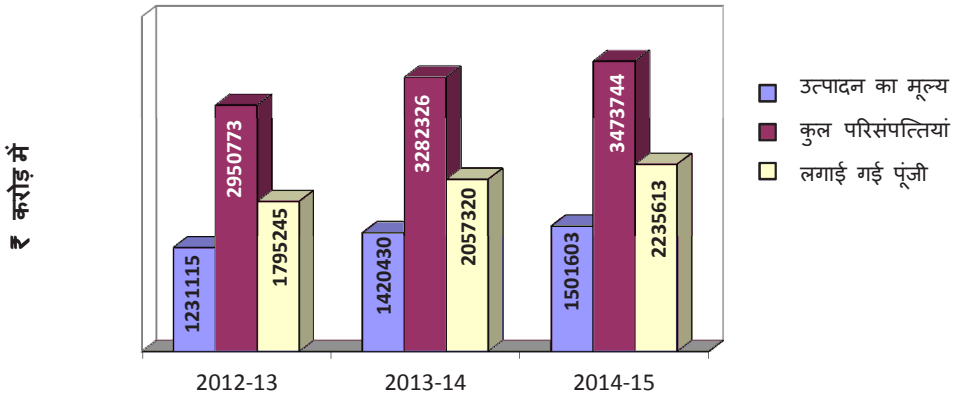


पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी।

### 1.5.2 बिक्री एवं विपणन

2014-15 के दौरान, 365 सीपीएसईज की कुल बिक्री ₹ 19,23,118 करोड़ थी। इनमें से 115 सीपीएसईज ने सरकारी क्षेत्रों को उनकी ₹ 9,63,841 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,64,920 करोड़ मूल्य की बिक्री की/ सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्रों को इन 115 सीपीएसईज की बिक्री की समग्र प्रतिशतता, उनकी कुल निवल बिक्रियों के संदर्भ में ₹ 27.49 प्रतिशत तक निकाली गई।

67 सीपीएसईज थे जिन्होंने ₹ 87,853 करोड़ मूल्य का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 11,40,976 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 7.70 प्रतिशत परिकल्पित किया गया। 365 सीपीईज द्वारा की गई ₹ 19,23,118 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 4.57 प्रतिशत थी। ₹ 5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज तालिका 1.16 में दी गई है :

**तालिका 1.16: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज**

| क्रम सं. | सीपीएसई का नाम | निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | 22790 |
| 2 | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 15423 |
| 3 | भारत हैवी इलैक्टिकल्स लिमिटेड | 12033 |
| 4 | ओएनजीसी विदेश लिमिटेड | 9109 |
| 5 | ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 5015 |
| **जोड़** | | **64370** |

इन पाँच सीपीएसईज की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसईज के कुल निर्यात का 73.27 प्रतिशत है।

### 1.5.3 अनुसंधान एवं विकास

निरन्तर वृद्धि के लिए विद्यमान उत्पादों को प्रोन्नत करने तथा नए उत्पाद, प्रक्रियाएं आदि विकसित करने के लिए प्रत्येक संगठन को अनुसंधान तथा विकास कार्यों को करना पड़ता हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, 53 सीपीएसईज़ ने अनुसंधान और विकास पर ₹ 3,548 करोड़ व्यय किए थे। सीपीएसईज़ जिन्होंने ₹ 100 करोड़ से अधिक के आर एंड डी व्यय किए थे, को तालिका 1.17 में दिया गया है:

**तालिका 1.17: ₹ 100 करोड़ से अधिक के आर एंड डी व्यय वाले सीपीएसईज**

| क्र.सं. | सीपीएसई का नाम | कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में) | निवल लाभ (₹ करोड़ में) | निवल लाभ के प्रति आर एंड डी व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हिन्दुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड | 1047 | 2388 | 44 |
| 2 | ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड | 545 | 17733 | 3 |
| 3 | भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 511 | 1167 | 44 |
| 4 | भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 301 | 1419 | 21 |
| 5 | इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड | 263 | 5273 | 5 |
| 6 | एनटीपीसी लिमिटेड | 130 | 10291 | 1 |
| 7 | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड | 130 | 2733 | 5 |

## 1.6 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य, या ₹ 1,000 करोड़ के या अधिक की कुल बिक्री या ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कम्पनी तीन या अधिक निदेशकों वाले बोर्ड की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति बोर्ड बनाएगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होगे जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतन्त्र निदेशक होगा। इन कम्पनियों की एक सीएसआर नीति होगी तथा जो यह सुनिश्चित करेगी कि कम्पनी की सीएसआर नीति में शामिल कार्यकलापों को कम्पनी द्वारा किया जाएगा। इन कम्पनियों का बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी इसकी सीएसआर नीति के अनुरक्षण में औसत निवल लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च

करती है। यदि कम्पनी ऐसी राशि को खर्च करने में असफल हो जाती है तो बोर्ड कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (ओ) के अन्तर्गत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में राशि का खर्च न करने के कारणो का उल्लेख करेगा।

2014-15 के दौरान सीएसआर के प्रावधान 185 सीपीएसई पर लागू किए गए थे। इन 55 सीपीएसई की एक सीएसआर समिति नहीं थी या एक सीएसआर पालिसी नहीं थी। 185 सीपीएसईज जिन पर सीएसआर के प्रावधान लागू किए थे, में से 100 सीपीएसईज ने 2014-15 के दौरान लाभ अर्जित किया तथा पूर्व तीन वर्षों के दौरान औसत निवल लाभ खर्च किया था। इन 100 सीपीएसईज में से 64 ने सीएसआर कार्यकलापों के लिए चिन्हित की गई पूर्ण राशि खर्च की तथा 36 सीपीएसईज के पास ₹ 977 करोड़ की एक अव्ययित राशि थी जैसा कि ***परिशिष्ट - IV*** में वर्णित है। अव्ययित राशि के लिए बताए गए मुख्य कारणों में से एक यह था कि 2014-15 पहला वर्ष होने के कारण, सीएसआर कार्यकलापों के लिए परियोजनाओं को अभी तक पहचानना है।

## 1.7 सिफारिश:

- **प्रशासकीय मंत्रालय/विभाग सीपीएसईज जो लाभ अर्जित कर रहे है, को वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने के लिए जोर डाल सकते है।**